रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269212
CG-DL-E-08012026-269212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947
No. 20] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

पंजाब नैशनल बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

फा. सं. PNB/HRD/DAC/D&A/2025-26.— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ निदेशक मंडल, ने एतद्वारा पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन किया है, यथा:—

1. (1) इस विनियम को पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 में, (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) विनियम (6) में, —

(क) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"(3) जहाँ किसी जाँच का प्रस्ताव किया जाता है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर निश्चित और स्पष्ट आरोप तय करेगा, और आरोपों पर आधारित दस्तावेजों की सूची तथा उन दस्तावेजों की प्रतियाँ, तथा गवाहों की सूची यदि कोई, के साथ आरोप पत्र अधिकारी कर्मचारी को लिखित रूप में प्रेषित करेगा, जिससे यह अपेक्षित होगा कि वह अनुशासनिक

प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समयावधि, जो पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी, अथवा उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किसी विस्तारित अवधि के भीतर, अपना लिखित प्रतिरक्षा बयान प्रस्तुत करे।

बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में, प्रतिरक्षा का लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय का विस्तार आरोप पत्र प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगा";

बशर्ते कि जहां भी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करना संभव नहीं है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को इस संबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति देगा।";

(ख) उप-विनियम (12) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"(12) उप-नियम (11) के अंतर्गत मांग प्राप्त होने पर, प्रत्येक प्राधिकारी जिसके पास मांगे गए दस्तावेज़ों का भौतिक अथवा डिजिटल अभिरक्षण या अधिकार है, वह मांग प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करेगा अथवा अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करेगा। ";

बशर्ते कि यदि मांगे गए दस्तावेज़ों का अभिरक्षण या अधिकार रखने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उन सभी या ऐसे किसी भी दस्तावेज़ का प्रस्तुतिकरण जनहित या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल होगा, और इस संबंध में वह अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे, तो वह जाँच प्राधिकरी को इसकी सूचना देगा। जाँच प्राधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उक्त सूचना को अधिकारी-कर्मचारी तक पहुँचाएगा और उन दस्तावेज़ों के प्रस्तुतिकरण या खोज हेतु की गई मांग को वापस ले लेगा।",

(ग) उप-नियम (21) में, उप-खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, यथा:—

"**(iii)** (क) जांच प्राधिकारी जांच समाप्त करेगा तथा जांच प्राधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(ख) जहां खंड (क) में निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं है, वहाँ जांच प्राधिकारी कारणों को रिकॉर्ड करेगा तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी से लिखित रूप में समय बढ़ाने की मांग करेगा, जो ऐसी जांच पूरी करने के लिए एक बार में अधिकतम छह माह के अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है;

(ग) अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने स्थान पर नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी उचित एवं पर्याप्त कारणों के लिए एक बार में अधिकतम छह माह की अवधि के लिए विस्तार की अनुमति दी जा सकती है।"

3. उक्त विनियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**अनुसूची**

[विनियम 3(बी), (जी), (एन), 17 एवं 18 *देखें*]

क्रम सं.	पद का नाम	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल - I एवं मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल - II के अधिकारी	सहायक महाप्रबंधक	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक
2.	मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल - III के अधिकारी	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक
3.	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-IV एवं वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल – V के अधिकारी	महाप्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक

4.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल VI के अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
5.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल- VII के अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	बोर्ड की समिति
6.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल- VIII के अधिकारी	निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	बोर्ड की समिति	बोर्ड".

सुमेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./592/2025-26]

नोट: पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, यथा:—

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	तिथि जब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ
1.	PNB/DAC/P/2/2002	14.12.2002	04.01.2003
1.	PNB/DAC/P/2/2008	29.08.2008	13.09.2008
2.	PNB/HRMD/DAC/P/2/2016	30.11.2016	03.12.2016
3.	HRDD/POL/OSR/(E)	27.03.2020	27.03.2020
4.	PNB/HRD/DAC/D&A/2022-23	20.02.2023	20.02.2023

PUNJAB NATIONAL BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2026

F. No. PNB/HRD/DAC/D&A/2025-26.— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977, (hereinafter referred to as the said regulations) in regulation (6), —

   (a) for sub-regulations (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

   "(3) Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authority shall frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the Officer Employee and the articles of charge, together with a statement of allegations, list of documents relied on along with a copy of such documents and list of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the Officer Employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority not exceeding fifteen days, or within, such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge:

Provided further that wherever it is not possible to furnish the copies of documents, the disciplinary authority shall allow the Officer Employee to inspect such documents within a time specified in this behalf.";

(b) for sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(12) On receipt of the requisition under sub-regulation (11), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents physically or digitally shall produce the same or issue a non-availability certificate before the Inquiring Authority within a period of one month of the receipt of such requisition:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents shall be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall on being so informed, communicate the information to the Officer Employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.";

(c) in sub-regulation (21), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) (a) the Inquiring Authority shall conclude the inquiry and submit its report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiry Authority;

(b) where it is not possible to adhere to the time-limit specified in clause (a), the Inquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the Disciplinary Authority in writing, who may allow an additional time not exceeding six months at a time for completion of such inquiry;

(c) the extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the Disciplinary Authority or any other Authority authorised by the Disciplinary Authority on his behalf."

3. In the said regulations, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule

[see regulations 3(b), (g), (n), 17 and 18]

Serial number	Name of post	Disciplinary authority	Appellate authority	Reviewing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Officers in Junior Management Grade Scale – I and Middle Management Grade Scale - II	Assistant General Manager	Deputy General Manager	General Manager
2.	Officers in Middle Management Grade Scale - III	Deputy General Manager	General Manager	Chief General Manager
3.	Officers in Senior Management Grade Scale-IV and Senior Management Grade Scale - V	General Manager	Chief General Manager	Executive Director
4.	Officers in Top Executive Grade Scale- VI	Chief General Manager	Executive Director	Managing Director and Chief Executive Officer

5.	Officers in Top Executive Grade Scale- VII	Executive Director	Managing Director and Chief Executive Officer	Committee of the Board
6.	Officers in Top Executive Grade Scale- VIII	Managing Director and Chief Executive Officer	Committee of the Board	The Board".

SUMESH KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./592/2025-26]

Note: The Punjab National Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and subsequently amended *vide* following notifications, namely:—

Serial number	Notification number	Date of notification	Date when published in the Gazette of India
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PNB/DAC/P/2/2002	14.12.2002	04.01.2003
2.	PNB/DAC/P/2/2008	29.08.2008	13.09.2008
3.	PNB/HRMD/DAC/P/2/2016	30.11.2016	03.12.2016
4.	HRDD/POL/OSR/(E)	27.03.2020	27.03.2020
5.	PNB/HRD/DAC/D&A/2022-23	20.02.2023	20.02.2023

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.08 22:34:56 +05'30'